

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 07/2025-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 1 फरवरी, 2025

सा.का.नि....(अ).- केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 110 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 02 फरवरी 2018, जिसे संख्या सा.का.नि. 114 (अ), दिनांक 02 फरवरी 2018, में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

- I. क्रम संख्या 1 के सामने, स्तंभ (2) में,
 - (i) "3105 90," अंकों के पश्चात् "3406," अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ii) "6302 31 00," अंकों के पश्चात् "6401, 6402, 6403, 6404, 6405," अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (iii) "7117," अंकों के पश्चात् "8702, 8704," अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (iv) "8712 00 10", अंकों के पश्चात् " ,8903, 9401, 9403, 9404, 9405, 9503 00 91 " अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे ;
- II. क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- III. क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)
"8क.	भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 69(अ), दिनांक 1 फरवरी, 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 1 फरवरी, 2021 की सारणी की क्रम संख्या 13कख के अधीन आने वाले सभी माल ।
8ख.	टैरिफ मद 8541 42 00 , 8541 43 00 और 8541 49 00 के अधीन आने वाले सभी माल, उन माल के अलावा, जिन पर निम्नलिखित अधिसूचनाओं के

	अधीन मूल सीमाशुल्क से छूट का दावा किया गया हो और अनुज्ञात किया गया हो, यथा:- (i) भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 303 (अ), दिनांक 23 जुलाई, 1996 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 51/96-सीमाशुल्क, दिनांक 23 जुलाई, 1996; (ii) भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 122(अ), दिनांक 01 मार्च, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 24/2005-सीमाशुल्क, दिनांक 01 मार्च, 2005।
8ग.	भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 के क्रं. संख्या 531 और 531क के अधीन समाविष्ट मालों से भिन्न शीर्ष 8711 के अधीन आने वाले सभी माल।
8घ.	भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 की क्रं. संख्या 581क के अधीन समाविष्ट मालों से भिन्न टैरिफ मद 9028 30 10 के अधीन आने वाले सभी माल ।
8ङ.	भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 की क्रं. संख्या 606क के अधीन समाविष्ट मालों से भिन्न टैरिफ मद 9802 00 00 के अधीन आने वाले सभी माल ।
8च.	भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 69 (अ), दिनांक 02 फ़रवरी 2021 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 11/2021-सीमाशुल्क, दिनांक 02 फ़रवरी 2021 की क्रं. संख्या 15घ के अधीन और अध्याय 98 के अधीन आने वाले सभी माल ।
8छ.	शीर्ष 9803 के अधीन आने वाले सभी माल ।
8ज.	भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 की क्रं. संख्या 608 के अधीन समाविष्ट मालों से भिन्न शीर्ष 9804 के अधीन आने वाले सभी माल ।

- IV. क्रम संख्या 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;
- V. क्रम संख्या 55 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

“शीर्ष 7113 के अधीन आने वाले सभी माल। ” ;

VI. क्रम संख्या 56 के सामने, स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

“शीर्ष 7114 के अधीन आने वाले सभी माल। ” ;

VII. क्रम संख्या 56क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

“56ख.	भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 की सारणी की क्र. संख्या 356 और 357 के अधीन आने वाले सभी माल ।
56ग.	भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 68(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 8/2020-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2020 के अधीन मूल सीमाशुल्क से छूट का दावा और अनुज्ञात किए हुए माल से भिन्न शीर्ष 9018, 9019, 9020, 9021 और 9022 के अधीन आने वाले सभी माल ।” ;

VIII. क्रम संख्या 57 के सामने स्तंभ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रति-स्थापित की जाएगी, अर्थात :-

“भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमाशुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 की क्रम संख्या 526 और 526क के मद (1) के उप-मद (क), स्तंभ (3) के अधीन समाविष्ट से भिन्न शीर्ष 8703 के अधीन आने वाले सभी माल ।”।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2025 को प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/03/2025-टीआरयू]

(अम्लीता टाइटस)

उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: मूल अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमाशुल्क, दिनांक 2 फरवरी, 2018, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 114(अ), दिनांक 2 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 207(अ), दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्या 20/2024-सीमाशुल्क, दिनांक 15 मार्च, 2024 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।